



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49366

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3363 वर्ष 2026

जितेन्द्र पाल निषाद

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : विजय कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव को सुना।
2. रिट याची का मामला यह है कि उसे 15.05.2018 को परिणाम घोषित होने के अनुसरण में कांस्टेबल (आरक्षी) के पद पर चयनित किया गया था और नियुक्ति आदेश 18.07.2018 को जारी किया गया था, तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 325, 323, 504, 506, 308 के अंतर्गत अपराध संख्या 1111 वर्ष 2015 के रूप में एक आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण। रिट याची को सेवा से निलंबित कर दिया गया था और एक एकपक्षीय (एक्स-पार्टे) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और 13.02.2019 को रिट याची की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी जो रिट-ए संख्या 6670 वर्ष 2019 में चुनौती की विषयवस्तु थी, जिसे दिनांक 13.02.2019 के आदेश को निरस्त करते हुए और रिट याची को प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने की अनुमति देते हुए 28.04.2022 को निस्तारित किया गया था और तत्पश्चात, दिनांक 05.06.2022 के आदेश के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार पर रिट याची को सेवा में बहाल कर दिया गया था। रिट याची की व्यथा यह है कि इस तथ्य के प्रकाश में कि रिट याची को आपराधिक मामले में भी दोषमुक्त कर दिया गया है, उसे 31.10.2018 से 08.06.2022 तक की अवधि के लिए वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याची के दावे के लिए प्रथमतः तृतीय प्रत्यर्थी, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ द्वारा न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है।
4. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याची को 27.03.2026 तक तृतीय प्रत्यर्थी, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है। तत्पश्चात, तृतीय प्रत्यर्थी दो माह की अवधि के भीतर रिट याची के दावे का निर्णय करेगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।